क्र.सं.	केन्द्र का नाम	राज्य जहां स्थित है	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)	म.प्र. का हिस्सा (%)	म.प्र. राज्य में स्थित परियोजनाओं में अन्य राज्यों का हिस्सा %
1.	सतपुड़ा-I	म.प्र.	312.5	60	राजस्थान 40
2.	गांधी सागर	म.प्र.	115.0	50	राजस्थान 50
3.	राणा प्रताप सागर	राजस्थान	172.0	50	- -
4.	जवाहर सागर	राजस्थान	99.0	50	- -
5.	हीराकुंड	उड़ीसा	270.0*	50	- -
6.	रिहन्द	उत्तर प्रदेश	250.0	15	- -
7.	माता टीला	उत्तर प्रदेश	30.0	33.3	- -
8.	पेंच	मध्य प्रदेश	160.0	66.6	महाराष्ट्र 33.3

*मध्य प्रदेश के लिए निश्चित आवंटन-5 मेगावाट।

(ख) मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड के अनुसार बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य समझौते के अनुसार विद्युत की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य भी राजस्थान को विद्युत की आपूर्ति नहीं कर रहा है, क्योंकि राजस्थान ने सतपुड़ा स्टेशन के प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च में अपने हिस्से का भुगतान नहीं किया है। महाराष्ट्र ने पेंच स्टेशन से अपने हिस्से की विद्युत की निकासी कर ली है और मई, 1995 में यह निकासी 16 लाख यूनिट थी। वर्ष 1995-96 के दौरान नवंबर, 1995 तक मध्य प्रदेश ने भी पेंच स्टेशन से अपने हिस्से की विद्युत की निकासी कर ली थी।

(ग) मध्य प्रदेश के अनुसार 30-11-95 तक राज्य द्वारा निम्नलिखित मात्रा में धन राशि प्राप्त की जानी थी:-

(बोर्ड जिससे धनराशि प्राप्त की जानी है)	(करोड़ रू. में)
1. राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड	113.91
2. उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड	25.41
3. उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	19.05 (20.62 करोड़ रू ब्याज को छोड़कर)
4. आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	6.51

इसके साथ-साथ मध्य प्रदेश द्वारा महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड को 7.72 लाख रूपये का भुगतान किया जाना था।

(घ) ये अर्न्तराज्यीय परियोजनाएं हैं और मामले में मध्यस्थता करने के लिए किसी भी राज्य ने केन्द्र से अनुरोध नहीं किया है।

Suspension of work on Tehri Dam Project

1247. SHRI. H. HANUMANTHAPPA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it has been decided to suspend work on the Tehri Dam project and re-examine its further execution with reference to safety, rehabilitation of the oustees and its ecological aspects: and

(b) if so, by when this re-examination is expected to be completed and project work re-started?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) and (b) In the context of objections raised against the Project by Shri Sunderlal Bahuguna who went on fast in April, 1996 demanding review of the Tehri Dam Project and in order to facilitate a proper solution to the problem, Government has agreed to provide all facilities to examine the relevant scientific and technical reports and other information relating to the safety of the Tehri Dam by a group of four experts suggested by Shri Sunderlal Bahuguna. These experts have since been requested to examine the relevant reports and make available their recommendations in about three months time for careful consideration by Government for ensuring that all necessary steps are taken to ensure the safety of the dam.

Government has also shown its willingness to have the ecological aspects, and issues

relating to resettlement of displaced persons examined by another group of experts including those nominated by Shri Bahuguna.

Construction activities at the Project site are continuing and the coffer dam has been raised to a height of EL 660 metres.

Barren land Reclamation Programme

1248. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT to be pleased to state:

(a) whether Government are implementing Barren Land Reclamation Programme;

(b) if so, the total acreage of land made cultivable under this programme during the last three years, State-wise;

(c) whether any Barren Land Development Schemes from States are pending with the Central Government for approval; and

(d) if so, the details thereof, State-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI CHANDRADEO PRASAD VERMA): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

मध्य प्रदेश में विदेशी सहायता से जल आपूर्ति

1249. **श्री अजीत जोगी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक एवं अन्य विदेशी संस्थाओं की वित्तीय सहायता से विभिन्न जिलों में जल की आपूर्ति में सुधार करने हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस पर कुल कितनी लागत आयेगी;

(ग) क्या केन्द्र सरकार इन परियोजनाओं के बारे में विश्व बैंक एवं अन्य संस्थाओं से विचार-विमर्श करने का विचार रखती है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) अन्य प्रदेशों में ऐसी वित्तीय सहायता से पेयजल आपूर्ति के लिए जो परियोजनाएं स्वीकृत होकर कार्यान्वित की जा रही हैं, उनका ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेश्वरलू): (क) जी, हां।

(ख) (I) 51.7 करोड़ रूपये की लागत से भोपाल शहर की जल आपूर्ति क्षमता बढ़ा कर 594 मिलियन लीटर दैनिक करने तथा विद्यामान वितरण प्रणाली के विस्तार का कार्यक्रम है।

(II) 46 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से स्थापित क्षमता बढ़ाने और मौजूदा वितरण प्रणाली के विस्तार हेतु जबलपुर जल आपूर्ति परियोजना।

(III) 105 छोटे व मझौले कस्बों के लिए पेय जल आपूर्ति परियोजना, ताकि 400 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से आपूर्ति स्तर, रिसाव ज्ञात कर उसकी रोकथाम, जल गुणवत्ता की निगरानी और भू-जल शोधन।

(ग) और (घ) भोपाल और जबलपुर की जल आपूर्ति परियोजनाएं जर्मन सहायता के लिए भेजी गयी थीं लेकिन उनका अंतिम अनुमोदन नहीं हुआ है। राज्य सरकार से 105 छोटे व मझौले कस्बों बाबत साध्यता-पूर्व रिपोर्ट मंगायी है ताकि विदेशी मदद हेतु पेश करने से पूर्व उसकी जांच की जा सकें।

(ङ) अन्य राज्यों में विदेशी सहायता से चल रही पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गयी है।

विदेशी सहायता से अन्य राज्यों में चल रही शहरी पेय जल आपूर्ति परियोजनाओं की सूची

क्रम सं॰	परियोजना (क्षेत्र)	लागत (करोड़ रू॰ में)	विदेशी सहायता (मिलियन में)	स्रोत
1.	हैदराबाद जल आपूर्ति और सीवरेज परियोजना (हैदराबाद व सिकन्दराबाद)	257.06	89.9 अमरीकी डालर	विश्व बैंक
2.	मद्रास जल आपूर्ति न्यू वीरानम (मद्रास)-II	1638.037	275.8 अमरीकी डालर	विश्व बैंक
3.	मद्रास जल आपूर्ति और सीवरेज प्रणाली (मद्रास)	323.10	17,098 येन	ओ.ई.सी.एफ. जापान
4.	कावेरी जल आपूर्ति स्कीम स्टेज-II/चरण-I (बंगलौर)	1209.80	28,452 येन	ओ.ई.सी.एफ. जापान